



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1377]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/आषाढ़ 9, 1937

No. 1377]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ASHADHA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2015

**का.आ. 1748(अ).**—यतः, मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य के ग्राम- कलवारा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 6 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 40(अ) द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 102.7659 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 27 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 632 (अ) द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 52.093 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित और 1.095 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में 11.4477 हेक्टेयर के क्षेत्र शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 11.4477 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 165.2116 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः—

### अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	कलवारा	2	0.080
2		5	0.0050
3		12	0.5600
4		14	4.0800
5		100	0.0650
6		121	0.5400
7		122	0.1700
8		123	0.0800
9		125	0.2100
10		126/2904	0.0800
11		127	0.0600
12		129	1.0000
13		134	0.0200
14		135	0.0200
15		136	0.2200
16		137	0.0300
17		138	0.0400
18		139	0.2400
19		139/2903	0.0500
20		140	0.4300
21		147	0.9900
22		148	0.0400
23		149	0.1000
24		150	0.0400
25		154	0.1400
26		154/2768	0.1300
27		155	0.2600
28		156	0.1900
29		157	0.5400
30		158	0.3200
31		159	0.1400
32		160	0.2600
33		172	0.0500
34		182	0.1400
35		208	0.0246
36		209	0.0311
37		211	0.0061
38		212	0.0156

39		213	0.0113
40		222	0.0200
41		314	0.0080
42		315	0.0010
43		316	0.0100
कुल			<b>11.4477 हेक्टेयर</b>
उपर्युक्त जोड़ के बाद एसईजे१ का कुल क्षेत्रफल			<b>165.2116 हेक्टेयर</b>

[फा. सं. एफ. 1/279/2007-एसईजे१]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department of Commerce)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2015

**S.O. 1748(E).**—WHEREAS, M/s. Mahindra World City (Jaipur) Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for handicraft sector at, Village Kalwara, Tehsil Sanganer, District Jaipur, in the State of Rajasthan;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified areas of 102.7659 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 40(E) dated 6th January, 2009;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 52.093 hectares and de-notified an area of 1.095 hectares from the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 632(E) dated 28th March, 2012.

AND, WHEREAS, M/s. Mahindra World City (Jaipur) Limited, has now proposed to include an area of 11.4477 hectares in the above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 11.4477 hectares, thereby making total area of the Special Economic Zone as **165.2116 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

## TABLE FOR ADDITIONAL AREA

S.No.	Name of the Village	Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Kalwara	2	0.080
2		5	0.0050
3		12	0.5600
4		14	4.0800
5		100	0.0650
6		121	0.5400

7		122	0.1700
8		123	0.0800
9		125	0.2100
10		126/2904	0.0800
11		127	0.0600
12		129	1.0000
13		134	0.0200
14		135	0.0200
15		136	0.2200
16		137	0.0300
17		138	0.0400
18		139	0.2400
19		139/2903	0.0500
20		140	0.4300
21		147	0.9900
22		148	0.0400
23		149	0.1000
24		150	0.0400
25		154	0.1400
26		154/2768	0.1300
27		155	0.2600
28		156	0.1900
29		157	0.5400
30		158	0.3200
31		159	0.1400
32		160	0.2600
33		172	0.0500
34		182	0.1400
35		208	0.0246
36		209	0.0311
37		211	0.0061
38		212	0.0156
39		213	0.0113
40		222	0.0200
41		314	0.0080
42		315	0.0010
43		316	0.0100
<b>Total</b>			<b>11.4477 hectares</b>
<b>Grant total of the SEZ area after above addition</b>			<b>165.2116 hectares</b>

[F. No. F.1/279/2007-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.